प्रेस विज्ञप्ति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–06 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 27.09.2000 को अभियुक्तग बिटटू पुत्र ईसम सिंह नि0 शेरपुर थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रिया कलाप करने की सूचना पर थानाध्यक्ष श्री पी0पी0एस रौतेला थाना को0देहात जनपद सहारनपुर द्वारा मु0अ0स0 364/2000 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट में थाना को0 देहात पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 324/2001 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–06 स0पुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–06 स0पुर द्वारा आज दिनांक 13.09.2021 को अभियुक्त बिटटू पुत्र ईसम सिंह को मु0अ0स0 364/2000 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 13–09–2021
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), सहारनपुर द्वारा 10 अभियुक्तों के विरुद्व की गई जिला बदर की कार्यवाहीः–

अवगत कराना हैं कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), सहारनपुर द्वारा 10 अभियुक्तों को धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुये जनपद की सीमाओं के 06 माह की अवधि के लिये निष्कासित किये गये हैं। निष्कासित किये गये अभियुक्तों का विवरण निम्नवत् हैंः–

- शहजाद पुत्र नसीम निवासी ग्राम सैय्यद माजरा थाना गागलहेड़ी, स0पुर।
- सालिम पुत्र अब्दुल मलिक निवासी ग्राम सैय्यद माजरा थाना गागलहेड़ी, स0पुर।
- हुसैन पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना, स0पुर।
- दिलनवाज पुत्र कालू उर्फ जाहबाग निवासी ग्राम रसूलपुर थाना नकुड़, स0पुर।
- बंटी पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड़, स0पुर।
- प्रदीप उर्फ रसिया पुत्र जादीराम निवासी ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा, स0पुर।
- अरविन्द उर्फ हलवाई पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम कुम्हारखेड़ा थाना सरसावा, स0पुर।
- कोशिद पुत्र शौकत निवासी ग्राम नवादा थाना सरसावा, स0पुर।
- काला पुत्र हुकम निवासी ग्राम तिलकराम थाना नानौता, स0पुर।
- शत्रुघन पुत्र रामानन्द निवासी ग्राम अनन्तमऊ थाना नानौता, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 13–09–2021

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 12–09–2021 को थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा जंगल ग्राम कोठडी बहलोलपुर से अभि0 1–खुर्शीद पुत्र जाहिद व 2–सादिन उर्फ गूंगा पुत्र ताहिर निवासी कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ, सहारनपुर को 01–01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 167,168/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना रामपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 12–09–2021 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा ईदगाह के पास से अभि0 असलम पुत्र नूर हसन निवासी मौहल्ला महल कस्बा व थाना रामपुर, सहारनपुर को 06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर पर मु0अ0सं0 293/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा नाजायज चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 12–09–2021 को थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चोरादेव गेट से अभि0 मंगता पुत्र सुलेमान निवासी चांदपुर थाना गागलहेडी, सहारनपुर को 150 ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 244/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीड़िया सेल
जनपद सहारनपुर।